

पत्रांक : वाई0ई0ए0/सम्पत्ति/2017

दिनांक-25/09/2017

### कार्यालय ज्ञाप


मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के अनुमोदन दिनांक 25.09.2017 के क्रम में यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण की 61वीं बोर्ड बैठक की मद संख्या-61/26, दिनांक 04.09.2017 के अन्तर्गत लिये गये निर्णय के क्रम में प्राधिकरण की आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के आवंटियों हेतु निम्न व्यवस्था लागू की जाती है :-

किशतों की अदायगी हेतु आवासीय भूखण्ड योजना 2009(1) के लिये अक्टूबर/नवम्बर, 2013 से अक्टूबर/नवम्बर, 2016 तक की अवधि को शून्य काल घोषित किया जाता है तथा निर्देशित किया जाता है कि आवंटी द्वारा अपनी किशतों का भुगतान नवम्बर, 2019 तक अथवा प्लॉट पर भौतिक कब्जे की तिथि, जो पहले हो, तक किया जाये तथा तदनुसार किशतों का निर्धारण किया जाये। इस संबंध में आवंटियों से इस आशय का शपथ पत्र भी ले लिया जाये कि उनके द्वारा प्राधिकरण के विरुद्ध कोई वाद योजित नहीं है और न ही वह भविष्य में वाद योजित करेंगे।

उपरोक्त के क्रम में शून्यकाल अवधि घोषित किये जाने के फलस्वरूप किशतों के पुननिर्धारण की कार्यवाही निम्नानुसार की जायेगी :-

1. अक्टूबर/नवम्बर, 2013 में पडने वाली किशत अक्टूबर/नवम्बर, 2016 में मानी जायेगी, तदनुसार आगे की किशतों का भुगतान किया जायेगा। अक्टूबर/नवम्बर, 2013 से अक्टूबर/नवम्बर, 2016 की अवधि भुगतान की गणना में शामिल नहीं की जायेगी।
2. शून्य काल अनुमन्य किये जाने से संबंधित प्रत्येक प्रकरण में सक्षम अधिकारी से अनुमोदन प्राप्त किया जायेगा।

उक्त आदेश दिनांक 04.09.2017 से प्रभावी होंगे।

  
(सत कुमार)  
विशेष कार्याधिकारी

प्रतिलिपि :-

1. वैयक्तिक सहायक, मुख्य कार्यपालक अधिकारी, महोदय के अवलोकनार्थ।
2. अपर मुख्य कार्यपालक अधिकारी महोदय के सूचनार्थ।
3. विशेष कार्याधिकारी (एस0के0/एम) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
4. महाप्रबन्धक(वित्त/नियोजन), यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
5. महाप्रबन्धक/उप महाप्रबन्धक (परियोजना) यमुना एक्सप्रेसवे प्राधिकरण।
6. सलाहकार (आर.एम.एस./वी.के.एस/एस.के./जे./एम.एस./आर.के.) वाई.ई.ए.।
7. समस्त योजना प्रभारी/प्रबन्धक/वरि0 प्रबन्धक/नायब तहसीलदार (सम्पत्ति)
8. गार्ड फाईल।

विशेष कार्याधिकारी

### यमुना एक्सप्रेसवे औद्योगिक विकास प्राधिकरण